217/00071

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्रीकन्हैयालाल स्वामी आर 0ए0एस)

मु0 संख्या 23 /2017

प्रार्थी		अप्रार्थी
खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर	बनाम	1श्री दीपक भाटिया पुत्र वल्लभदास भाटिया उम्र 50 वर्ष, जाति भाटिया मूल निवासी– भाटिया पाडा, जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स दीपक बेकरी, भाटिया मार्केट, जैसलमेर (राज.) 2मैसर्स दीपक बेकरी, भाटिया मार्केट, जैसलमेर

(अपराध अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (ii) एफ.एस.एस एक्ट 2006 नियम 2011)

-:: आदेश ::- दिनांकः 29सितम्बर 2017

1. श्रीलक्ष्मीकान्तगुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006व नियम 2011के तहत् न्याय निर्णयन आवेदन निम्न प्रकार पेश किया कि:-यह है कि मुस्तगीस अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर में खादय सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 06.09. 2011 के अनुसार खादय सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खादय सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 1033 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर आंवटित किया गया है और जैसलमेर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है। अधिसूचना एव आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

2 यह है कि अभियुक्त क्र. सं.1 श्री दीपक भाटिया पुत्र वल्लभदास भाटिया उम्र 50 वर्ष, जाति भाटिया मूल निवासी– भाटिया पाडा, जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स दीपक बेकरी, भाटिया मार्केट, जैसलमेर (राज.) 2मैसर्स दीपक बेकरी, भाटिया मार्केट, जैसलमेर है ।

3 यह है कि दिनांक 25.10.2016 को 4पी.एम. मैसर्स दीपक बेकरी, भाटिया मार्केट, जैसलमेर पर दीपक भाटिया पुत्र वल्लभदास भाटिया उम्र 50 वर्ष, जाति भाटिया मूल निवासी– भाटिया पाडा, जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स दीपक बेकरी, भाटिया मार्केट, जैसलमेर पर कारोबार कर रहा था जिसका विकेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र/पंजीयन दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर उपलब्ध था, जो कि उसने दिखाया, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर खाद्य पदार्थ व्हाइट सेण्डविच ब्रेड, मनीषाजी ब्राण्ड 400ग्राम पैक के 3 पैकट विकय हेतु रखे हुए थे, मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विकेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विकेता के हस्ताक्षर करवाके फार्म संख्या 5ए की एक प्रतिं मौके पर मालिक विकेता दी और प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात् 400 ग्राम के 3 पैक नमूने वास्ते लिये, जिसके पेटे 75 रूपये नकद देकर गवाहन, विकेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

4यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद सुदा व्हाइट सेण्डविच ब्रेड, मनीषाजी ब्राण्ड 400ग्राम पैक्ड को मूल पैक खोलकर बराबर मात्रा में चार साफ सुखी खाली पारदर्शी चौडे मुँह की बोतलो में भरकर परिरक्षक बतौर फार्मालिन की 40–40 बुंदे मिलाकर एयर टाईट ढक्कन से बंद कर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना बोतलो पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोंड एवं सिरीयल नम्बर एन– 636 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। एवं नमूनो बोतलो की गर्दन पर खाली ब्रेड के रेपर संलग्न कर अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–636 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–636 व्हाइट सेण्डविच ब्रेड, मनीषाजी ब्राण्ड लिखकर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनो भागो को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होनें पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।

5यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को श्री सुमनेश माथुर, पी.ए., एनसीडी सेल, सीमएचओ, जैसलमेर द्वारा दिनांक 26.10.2016 को जमा कर कर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 25.10.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

6यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/28336–38 दिनांक 30.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./1303/Act/2016/1376 दिनांक 24.11.2016 अनुसार उक्त नमुना मिथ्याछाप होना पाया गया है, जो कि एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन है, जिसका जुर्माना धारा 51 एफ.एस.एस.ए.–2006 में वर्णित है। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

7यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/स्वी./एन–636/16141 दिनांक 22.6.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

8यह है कि उक्त केस में विक्रेता एवं मालिक क्र. सं. श्री दीपक भाटिया पुत्र वल्लभदास भाटिया उम्र 50 वर्ष जाति भाटिया मूल निवासी– भाटिया पाडा, जैसलमेर राज. एफ.बी. ओ. मैसर्स दीपक बेकरी, भाटिया मार्केट, जैसलमेर (राज.) मैसर्स दीपक बेकरी, भाटिया

मार्केट, जैसलमेर ने अमानक व्हाइट सेण्डविच ब्रेड, मनी ाजी ब्राण्ड 400ग्राम पैक्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।
9श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगाशा तथा सलग्न प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर इस्तगाशा दर्ज किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायल दिनांक 10.7.17 को उपस्थित हुवा तथा लिखित में प्रार्थना पत्र निम्न अनुसार पेश कर निवेदन किया :-

1- यह कि अप्रार्थी अपनी दुकान में सेण्ड विच ब्रेड विक्रय करनें का कार्य करता है यह ब्रेड बनी बनाई बाडमेर से आती है जिसे बेचता है ।
3यह कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नही की है नही ऐसा कोई खाद्य पदार्थ नही बेचाहै जो स्वासध्य के लिए हानिकारक हो । नमूना जॉच में ब्रेड नमूना जॉच में 4 बिन्दु में 4 बिन्दु जॉच सही पाई गई है मात्र मिस ब्राण्ड की बिन्दु में कमी पाई गई है जो ब्रेड बनाने वाले के स्तर की होने से रही है ।वेट फ्री होनें से बिल नही देते है फिर भी मान्य न्यायालय इसके लिए दोषी मानती है तो जुर्म आंशिक स्वीकार है ।
4 अतः मामले में आरोप स्वीकार करते हुवे एक बार माफी प्रदान करावें भविष्य में पूर्ण सतर्कता बरती जावेगी तथा ब्रेड खरीदते समय पूरा ध्यान रखा जावेगा ।
5- राज्य सरकार की नीति अनुसार मामले में लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करनें हेतु अनुरोध है ।

गैरसायल द्वारा जुर्म स्वीकार करनें से प्रार्थी पक्ष को इस्तगाशा के तथ्यों को साबित करनें अथवा साक्ष्य सबूत पेश करनें की आवश्यकता नही रही है ।गैरसायल द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रार्थना की है जुर्म स्वीकार कर लेनें से गैरसायलान द्वारा अमानक मिथ्या छाप सामग्री ब्रेड का विक्रय करनें के दोषी साबित है जिससे स्पष्ट है कि गैरसायलान द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् नियम2011 की धारा 51,52 में निर्धारित है । अतः लोक अदालत की भावना से सहानुभूतिपूर्वक रूख अपनाते हुवे गैरसासयल नम्बर एक व दो पर सयुक्त रूप से रूपये 10,000 अखरे रूपये दस हजार मात्र की शास्ति अर्थ दण्ड आदेशित किया जाता है । आदेशित अर्थ दण्ड की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवम अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर के न्यायालय में जरिये चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक माह के अन्दर जमा करवाकर पालना पालना पेश करें ।

निर्णय आज दिनांक 29.09 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैयालाल स्वामी)
न्याय निर्णयन अधिकारीएवम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

क्रमांक/एफएसएसएक्ट/निर्णय/17/ 1535-39

प्रतिलिपीः- निम्न को सूचनार्थ एवम् पालनार्थ प्रेषित हैः- दिनांकः-29.09.2017 5-10-17

1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवम् निदेशक (जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवाए जयपुर

2- अभिहीत अधिकारी एवम् मुख्यचिकित्सा अधिकारी जैसलमेर/खाद्यसुरक्षाअधिकारी जैसलमेर

3 1श्री दीपक भाटिया पुत्र वल्लभदास भाटिया उम्र 50 वर्ष, जाति भाटिया मूल निवासी- भाटिया पाडा, जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स दीपक बेकरी, भाटिया माकेट, जैसलमेर (राज.)

2मैसर्स दीपक बेकरी, भाटिया माकेट, जैसलमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर